

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर


// आदेश //

क्रमांक ३/८९६ /
दो-१४-९/८३ भाग-१८ बैच

जबलपुर, दिनांक ०४/०२/२०१९

श्री राहुल सिंह परिहार, शीघ्रलेखक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर को महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, से एम.ओ.एम (मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट) अंग्रेजी शीघ्रलेखन 120 शा.प्र.मि. की गति से सत्र-2018-19 में दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से प्रवेश लेने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है : -

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगान से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।


(अरविन्द कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल
Par

पृष्ठांकन क्रमांक ३/८९७ /
दो-१४-९/८३ भाग-१८ बैच

जबलपुर, दिनांक ०४/०२/२०१९

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म०प्र०) की ओर ज्ञापन क्रमांक ६१७/स्था. ग्वालियर, दिनांक 21.01.2019 के संदर्भ में।
2. रजिस्ट्रार(प्रशा.)/ कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
4. ज्वाईट रजिस्ट्रार(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. डिप्टी रजिस्ट्रार.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. अनुभाग अधिकारी स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. सहायक स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. श्री राहुल सिंह परिहार, शीघ्रलेखक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(यू. एस. दुबे)
रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस.
Par

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// संशोधन आदेश //

क्रमांक B/898 /

जबलपुर, दिनांक ०८/०२/२०१९

रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी/502 जबलपुर, दिनांक 24.01.2019 तथा पूर्व जारी रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी/3593 जबलपुर, दिनांक 26.07.2016, रजिस्ट्री आदेश क्रमांक ई/3974 जबलपुर, दिनांक 31.05.2017 एवं रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी/271 जबलपुर, दिनांक 12.01.18 में आंशिक संशोधन करते हुये सैफन खान के स्थान पर सैफान खान पढ़ा जावे।

(अरविन्द कुमार शुक्ला) ०८/०२/१९

रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B/899 /

जबलपुर, दिनांक ०८/०२/२०१९

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1 एवं 2/डी.ई/ई/आई.एल./एकजाम एवं लेबर ज्यूडिशियरी/कम-पी.पी.एस/सतर्कता, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
 2. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर.
 3. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु,
 4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी(लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 5. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 6. ज्याइंट रजिस्ट्रार(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 7. डिप्टी रजिस्ट्रार,(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 8. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 9. असिस्टेंट रजिस्ट्रार.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 10. अनुभाग अधि. स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
 11. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 12. प्रिसिपल रजिस्ट्रार न्यायिक/सतर्कता/(आई.एल.आर. एवं परीक्षा) महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 13. सहायक, स्थापना/अंवकाश/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक/डी.पी.एफ., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 14. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 15. उपरिथित लिपिक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 16. श्री सैफान खान आत्मज श्री हिदायत खान, संविदा नियुक्त शीघ्रलेखक, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यालय हेतु अंदेश

6/2/2019
क्रमांक ८९९



उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

क्रमांक B/900 // अनुभव प्रमाण पत्र //
जबलपुर, दिनांक 08/02/2019
II-14-1/2016

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सैफान खान, संविदा नियुक्त शीघ्रलेखक,
उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, में दिनांक 27.07.2016 से 26.01.2019 तक कार्यरत
रहे एवं वर्तमान में उन्हें दिनांक 01.02.2019 से आगामी 6 माह के लिये पुनः संविदा
नियुक्ति प्रदान की गयी है।

U.S.D.U.B. 6/2/2019
(यू.एस.डुबे)
रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस.
for